राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8 (ग)( )नियम/डीएलबी/12/9910 जयपुर दिनांक 26/4/17

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास कर की वसूली हेतु जारी की गई अधिसूचना दिनांक 29.08.07 एवं 24.08.16 के अनुसरण में नगरीय निकायो द्वारा नगरीय विकास कर की वसूली की जा रही है तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर शास्ति में छूट प्रदान की गई है। यह जानकारी में आया है कि शास्ति में छूट प्रदान किये जाने की जारी अधिसूचना से पूर्व जो नगरीय विकास कर की राशि करदाता द्वारा जमा कराई जाती है वह शास्ति मद में जमा कर ली जाती है और मूल राशि की डिमाण्ड यथावत बनी रहती है।

अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा यह निर्देश प्रदान करती है कि यदि किसी करदाता द्वारा शास्ति में छूट दिये जाने की जारी अधिसूचना से पूर्व नगरीय विकास कर की राशि जमा कराई जाती है तो उसे मूल नगरीय विकास कर की राशि के पेटे ही जमा किया जावे। राज्य सरकार द्वारा शास्ति में छूट दिये जाने के पश्चात जो भी राशि जमा होती है उसे बकाया मूल नगरीय विकास कर राशि के खाते में जमा कर नियमानुसार शास्ति की छूट का लाभ दिया जावे तथा करदाता के आवेदन पर पूर्व में जमा की गई राशि का पूर्व के वित्तीय वर्षो में भी इसका समायोजन किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/12/ 9911–10375 जयपुर, दिनांकः 26/4/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजसथान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
12. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM\5.Adhisuchna.docshahzad/Document

Scanned by CamScanner